कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)

ज्ञापन

क्रमांक............/चार–6–3/2022 भोपाल, दिनांक .... अगस्त 2023

प्रति,

अपर संचालक,
विज्ञापन,
जनसम्पर्क कार्यालय,
भोपाल (म.प्र.)

विषय :– जिला न्यायालय भवन परिसर, अरेरा हिल्स, भोपाल में फोटोग्राफी शेड को फोटोकॉपी कार्य के उपयोग हेतु निविदा आमंत्रण विज्ञप्ति स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करने बाबत।

****

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि जिला न्यायालय भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल स्थित फोटोग्राफी शेड को फोटोकॉपी कार्य के उपयोग हेतु निविदा आमंत्रित करने संबंधी विज्ञप्ति इस पत्र के साथ आपकी ओर संलग्न भेजी जा रही है।

अतः उक्त विज्ञप्ति दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, नवभारत, पत्रिका एवं पीपुल्स समाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाशित कर (प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति) इस कार्यालय में भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्नः–विज्ञप्ति

Sd/-
हेतु–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक 10514/चार–6–3/2022 भोपाल, दिनांक 17 अगस्त, 2023

प्रतिलिपि :–

(1) प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुविभाग, जिला न्यायालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति एवं निविदा प्रलेख जिला न्यायालय, भोपाल एवं माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर अपलोड करें, साथ ही विज्ञप्ति के प्रकाशन हेतु तत्काल अपर संचालक, विज्ञापन, जनसम्पर्क कार्यालय, भोपाल (म.प्र.) की ओर आई.डी. पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन प्रेषित किये जाने हेतु श्री रूपेश शुक्ला, जूनियर सिस्टम एनॉलिस्ट को निर्देशित करें।

(2) जिला रजिस्ट्रार, जिला न्यायालय, भोपाल,

(3) जिला नाजिर, नजारत अनुभाग, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

हेतु–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म.प्र.)

<u>कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)</u>

<u>निविदा आमंत्रण सूचना</u>

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल स्थित फोटोग्राफी शेड को फोटोकॉपी कार्य के उपयोग हेतु आगामी एक वर्ष के लिये मासिक किराये पर प्रदान किया जाना है। उक्त दुकान मासिक किराये पर लिए जाने हेतु इच्छुक संस्थाओं, व्यक्तियों एवं कंपनियों से निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा की शर्तों संबंधी निविदा प्रलेख उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर उपलब्ध है। इच्छुक संस्थायें/व्यक्तियों/कंपनियां अपना आवेदन निविदा शर्तो के संबध में सहमति दर्शाते हुए दिनांक 02.09.2023 को दोपहर 1.00 बजे तक रजिस्ट्रार कार्यालय, जिला न्यायालय, भोपाल में जमा कर सकते हैं। निविदा दिनांक 02.09.2023 को सांयकाल 5.00 बजे आवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी। निविदा प्रलेख/आवेदन राशि रूपये 100/– नगद जमा करने पर, नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय, भोपाल से दिनांक 01.09.2023 तक कार्यालयीन समय पर प्राप्त किए जा सकेंगे।

हेतु–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म.प्र.)

कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)

//निविदा प्रलेख//

जिला न्यायालय भवन परिसर, भोपाल स्थित फोटोग्राफी शेड में अनुबंध निष्पादित कराये जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये फोटोकॉपी कार्य संचालन हेतु उक्त स्थान किराये पर लिये जाने हेतु इच्छुक संस्थाओं, व्यक्तियों एवं कंपनियों से निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। उक्त स्थान के फोटोकॉपी कार्य के उपयोग हेतु विस्तृत विवरण एवं शर्तें निम्नानुसार है:–

01– फोटोग्राफी शेड में फोटोकॉपी कार्य संचालन हेतु निविदाकर्ता से निविदा के साथ किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से एकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट/फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट के रूप राशि रुपये 10,000/– (शब्दों में– राशि रुपये दस हजार मात्र) की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल के पक्ष में Earnest Money Deposite (बयाना राशि) देना अनिवार्य होगा, इसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

02– फोटोग्राफी शेड में फोटोकॉपी कार्य संचालन हेतु निविदाकर्ता द्वारा निविदा स्वीकार एवं अनुबंध निष्पादित किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के उपरांत यदि निविदाकर्ता द्वारा किसी भी कारण से फोटोग्राफी शेड में फोटोकॉपी कार्य संचालन /अनुबंध निष्पादित करने से मना किया जाता है, तो उस स्थिति में निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत Earnest Money Deposite (बयाना राशि) रुपये 10,000/– का एकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट/फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट जब्त कर ली जायेगी एवं निविदाकर्ता का उक्त राशि पर कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

03– फोटोग्राफी शेड में फोटोकॉपी कार्य संचालन हेतु निविदाकर्ता को अनुबंध का अंतिम रूप देने के पश्चात अस्वीकार्य निविदाकर्ताओं को ई.एम.डी. राशि का एकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट/फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट वापस कर दिया जाएगा, किंतु किसी भी कारण से वापसी में देरी के लिये Earnest Money Deposite (बयाना राशि) जमा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

04– फोटोग्राफी शेड को फोटोकॉपी कार्य के उपयोग हेतु रू. 50,000/– (राशि पचास हजार रुपए) की एफ.डी.आर. सुरक्षानिधि के रूप में जिला न्यायाधीश भोपाल के नाम से एक वर्ष की अवधि के लिए आवंटित होने पर प्रस्तुत करना होगी।

05— न्यूनतम प्रीमियम राशि (मासिक किराया) राशि रू. 12,000/— प्रति माह निर्धारित किया जाता है जो कि प्रत्येक माह की 05 तारीख तक एडवांस देय होगा तथा लगातार तीन माह तक जमा न किये जाने की दशा में अमानत राशि जब्त कर वसूल की जाएगी तथा अनुबंध तत्काल निरस्त किया जाएगा।

06— व्यवसायिक प्रतिष्ठान लायसेंस के रूप में विशिष्ट कार्य हेतु एक वर्ष के लिए दिया जाएगा तथा प्राप्त निविदाओं में से जो सबसे उच्चतर की निविदा होगी उसे मान्य किया जाएगा।

07— निविदा मंजूर होने के पश्चात स्वीकृत निविदाकर्ता द्वारा फोटोकापी कार्य ही संचालित किया जावेगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी तरह का कार्य किए जाने पर स्वीकृत निविदा तत्काल निरस्त कर दी जावेगी।

08— विकलांग/विधवा/परित्यक्ता/सशस्त्र बल के सेवानिवृत्त सदस्यों तथा अनुभव प्राप्त बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

09— प्रतिष्ठान का पंजीयन नगर निगम, भोपाल संस्थापना अधिनियम के अंतर्गत कराना आवश्यक होगा।

10— व्यवसायिक प्रतिष्ठान में ऐसी कोई भी गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे कि शासकीय सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित होती हो।

11— व्यवसायिक प्रतिष्ठान का व्यवसाय न्यायालयीन कार्य दिवस समय में ही किया जाएगा।

12— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल का एकमात्र विवेकाधिकार आवंटन के संबंध में अंतिम होगा।

13— व्यवसायिक प्रतिष्ठान उन्हें आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार का स्थाई निर्माण/संरचना नहीं करेंगे तथा अस्थाई निर्माण नहीं करेंगे जो शासकीय सम्पत्ति को क्षति कारित करता हो।

14— व्यवसायिक प्रतिष्ठान में ऐसा अस्थाई निर्माण जो कि व्यवसाय के संचालन में आवश्यक है, पूर्व में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुए अनुमोदित कराने के उपरांत ही कर सकेंगे।

15— व्यवसायिक प्रतिष्ठान हेतु आवंटित स्थान को साफ—सुथरा तथा प्रदूषण से मुक्त रखेंगे तथा किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र या आडियो सिस्टम का उपयोग नहीं करेंगे।

16— आवंटित व्यवसायिक प्रतिष्ठान को किसी अन्य को आवंटित नहीं कर सकेंगे।

17— दुकान संचालक को स्वयं के व्यय पर विद्युत हेतु सब मीटर एवं जल कनेक्शन प्राप्त करना होगा।

18— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को यह अधिकार होगा कि व्यवसायिक प्रतिष्ठान को दिए गए लायसेंस किसी भी समय बिना कारण बताए एक माह का नोटिस देकर निरस्त कर दे और उस दशा में ऐसे आवंटितों को एक माह की अवधि में व्यवसायिक प्रतिष्ठान हटाना होगा अन्यथा प्रधान जिला न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि ऐसे स्थान को रिक्त करा ले।

हेतु—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म.प्र.)